



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 14, सोमवार, शाके 1937-मई 4, 2015
Vaisakha 14, Monday, Saka 1937-May 4, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2015

संख्या प. 2 (32) विधि/2/2015:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xiii) के विद्यमान उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) नगर निगम के मामले में आयुक्त;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) के विद्यमान

खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18, में नयी धारा 69-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69 के पश्चात् और विद्यमान धारा 70 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"69-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना.- (1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है, वह, विहित रीति से, नगरपालिका से पट्टाधृत अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नगरपालिका के पक्ष में अपने अधिकारों का, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा और नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस और प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, धारक को उक्त भूमि का पट्टा जारी कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी-

- (i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक आयुक्त;
- (ii) प्रत्येक नगर निगम के लिए इतनी संख्या में अपर आयुक्त या उपायुक्त, जो अवधारित की जाये;
- (iii) प्रत्येक नगर परिषद् के लिए एक आयुक्त;
- (iv) प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक कार्यपालक अधिकारी;
- (v) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद्, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव; और
- (vi) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।"; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगम के आयुक्त की ऐसी शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त किये गये किसी अपर आयुक्त या किसी उपायुक्त को कर सकेगी, जैसाकि वह ठीक समझे।"

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, May 4, 2015

No. F. 2 (32) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT)

ACT, 2015

(Act No. 13 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 22nd day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(a) the Commissioner, in case of a Municipal Corporation;".

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (ii) of sub-section (3) of section 55 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) one or more health and sanitation committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two

committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;"

4. Insertion of new section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 69 and before the existing section 70 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the municipal area otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining lease hold rights from the Municipality and the Municipality may accept such rights.

(2) On acceptance by Municipality of rights under sub-section (1), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue the holder lease of the said land.

(3) The lease issued under sub-section (2) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-section (1) .".

5. Amendment of section 332, Act No.18 of 2009.- In section 332 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the forgoing provisions of this Chapter and the rules made under section 337 or any other provision of this Chapter, the State Government shall appoint-

- (i) one Commissioner for every Municipal Corporation;
- (ii) such number of Additional Commissioners or Deputy

Commissioners for every Municipal Corporation as may be determined;

- (iii) one Commissioner for every Municipal Council;
- (iv) an Executive Officer for every Municipal Board;
- (v) a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner; and
- (vi) any other administrative officer by any name and designation as deemed necessary.”; and

- (ii) after sub-section (1), so amended and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(1A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate such of the powers, functions or duties of the Commissioner of the Municipal Corporation to an Additional Commissioner or a Deputy Commissioner appointed under clause (ii) of sub-section (1), as it may think fit.”.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

